



# सार्वजनिक सूचना

## विद्युत उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण

भारत सरकार द्वारा पारित विद्युत  
(उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम 2020

सभी विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 के तहत 31.12.2020 को विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 पारित किया है। इन नियमों के अंतर्गत, भारत सरकार ने प्रावधान किया है कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किसी प्रकार की अनावश्यक / जानबूझकर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी।

इन नियमों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 24X7\* विद्युत आपूर्ति का अधिकार दिया गया है और यदि वितरण कंपनी जानबूझकर लोड शेडिंग का सहारा लेती है तो उपभोक्ताओं को वितरण कंपनी से क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने भी विभिन्न सेवाओं के लिए वितरण कंपनी द्वारा लिए जाने वाले अधिकतम समय के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं जिसमें कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, रिकनेक्शन, शिफ्टिंग, उपभोक्ता श्रेणी और लोड में परिवर्तन, बिल संबंधी सेवाएं और वोल्टेज तथा बिल संबंधी शिकायतों का समाधान शामिल हैं।

इन सेवाओं को प्रदान करने में किसी प्रकार का विलंब होने पर वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होगी। इन नियमों को <https://powermin.gov.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए आप अपने संबंधित डिस्कॉम की वेबसाइट: [www.dvvn.org](http://www.dvvn.org), [www.mvvn.in](http://www.mvvn.in), [www.pvvn.org](http://www.pvvn.org), [www.puvvn.up.nic.in](http://www.puvvn.up.nic.in), [www.kesco.co.in](http://www.kesco.co.in), [www.mvvn.in](http://www.mvvn.in) देख सकते हैं।

**\*आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं की श्रेणियों को छोड़कर**

**Size 8cm x 12cm**